MR. CHAIRMAN: As Shri John Brittas and Shri Sanjay Singh are in the Well, so, they are not in a position to speak. *...(Interruptions)...*

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I will speak. *...(Interruptions)....*

MR. CHAIRMAN: You cannot do this. You enter into the Well, shout slogans and now going back to your seat and wanted to speak. It is not allowed. *...(Interruptions)....* Now, Shri Ramji ...(**व्यवधान**)... श्री रामजी के साथ न्याय करें।

**Discrimination against students belonging to SC/ST community**

**श्री रामजी** (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान वर्तमान में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं एवं भेदभाव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।...(**व्यवधान**)... महोदय, विगत दिनों जेएनयू में पीएचडी के प्रवेश के लिए इंटरव्यू लिए गए। उनमें लिखित परीक्षा के लिए 70 तथा मौखिक साक्षात्कार के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए।...(**व्यवधान**)...इंटरव्यू के निर्धारित 30 अंकों में से एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को सिर्फ दो से तीन अंक दिए गए। मेरा आपसे निवेदन है कि इस इंटरव्यू में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को दो से तीन अंक देना तार्किकपूर्ण और न्यायपूर्ण नहीं है।...(**व्यवधान**)...जेएनयू में कम फीस और quartile सिस्टम की वजह से अधिकांश बच्चे वंचित वर्ग से आते हैं और वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। श्रीमान्, यह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से संसद का ध्यान एक और गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति से सम्बन्धित है।...(**व्यवधान**)...अभी तक पूरे देश में एससी और एसटी के छात्रों की छात्रवृत्ति समय से मिलने के कारण इन वर्गों के अधिक से अधिक लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़-चढ़कर शिक्षित हो रहे थे।...(**व्यवधान**)...परंतु जब से वर्तमान सरकार आई है तब से एससी और एसटी के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है।...(**व्यवधान**)...इसके दो उदाहरण मेरे सामने आए हैं, जिन्हें मैं यहां बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में S.R. Institute में पढ़ने वाली छात्रा रीना कुमारी बी.टेक. बायोटेक से कर रही थी, लेकिन उसकी फीस न आने की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई है।...(**व्यवधान**)...ऐसा ही दूसरा केस राजस्थान के अलवर के अंकुश गौतम नाम के एक छात्र का है, जो गुजरात के नेशनल लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था।...(**व्यवधान**)...उसकी तीन साल से scholarship नहीं आई है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी छूटने वाली है। ...(**व्यवधान**)...श्रीमान् जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जिन छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय हुआ, उन्हें न्याय दिलाया जाए और एससी, एसटी तथा ओबीसी के छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति जारी की जाए।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Mr. Abdul Wahab. He is in the Well of the House. So, he is not called to speak. *...(Interruptions)...*

**श्री सभापति** : श्रीमती ममता मोहंता।

**Need for revision of compensation amount under the *Jatiya Parivar Mangala Yojana* in Odisha**

**श्रीमती ममता मोहंता** (ओडिशा): सभापति महोदय, मैं 'जातीय परिवार मंगल योजना' के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। 'जातीय परिवार मंगल योजना' वर्ष 2008 में शुरू हुई थी। इसमें पहले सहायता राशि 10,000 रुपए दी जाती थी, लेकिन वर्ष 2012 में इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। इस योजना के तहत अगर किसी परिवार के मुख्य आय करने वाले व्यक्ति का निधन हो जाता है और यदि उसकी उम्र 60 साल से कम हो तथा उसके बच्चे नाबालिग हैं, तो उस परिवार को इस योजना में शामिल किया जाता है। इस योजना में हिताधिकारी को 1997 के बीपीएल सर्वे के अनुसार सहायता राशि मिलती है। बीपीएल सर्वे हर पांच साल में होना चाहिए, क्योंकि इन 24 सालों में बीपीएल के सर्वे के मुताबिक गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर है और अमीर परिवार के लोग भी गरीब हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि 1997 के BPL सर्वे में संशोधन करके आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाए। ...(**व्यवधान**)... इसके साथ ही, आजकल के ज़माने में 20 हजार रुपए कोई मायने नहीं रखते, इसलिए इसको बढ़ा कर 2 लाख रुपए किया जाए, धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mamata*ji.* Next, Shri Digvijaya Singh*ji;* in his seat! No. Now, Lt. Gen. (Dr.) D.P. Vats (Retd.). *...(Interruptions)...*